बिहार सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
**कार्यालय : प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना।**
**(कैम्पा एवं वन संरक्षण संभाग)**

तृतीय तल, अरण्य भवन, शहीद पीर अली खाँ मार्ग, पटना—800 014
संख्या—व.सं. / 70 / 2022- 581 /

प्रेषक,

सुरेन्द्र सिंह, भा०व०से०,
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
—सह—नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।

सेवा में,

परियोजना निदेशक,
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण,
परियोजना कार्यान्वयन इकाई, सुपौल। पटना 14, दिनांक- 26/05/2025

विषय — भारतमाला परियोजना के तहत मधुबनी जिलान्तर्गत उमागाँव—कलुआही (0.00—21.610 कि०मी० NH-227L) पथ, साहरघाट—रहिका (0.00—26.135 कि०मी० NH-227J) पथ एवं विदेश्वर स्थान—भेजा (0.00—25.915 कि०मी० NH-227A) पथ चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत 37.507 हे० (पूर्व प्रस्तावित क्षेत्रफल 39.1096 हे0) वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक स्वीकृति के संबंध में।

प्रसंग — भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, राँची का पत्रांक FP/BR/ROAD/154991/2022/289 दिनांक 20.05.2025

महाशय,

उपर्युक्त विषयक संबंध में सूचित करना है कि प्रासंगिक पत्र (छायाप्रति संलग्न) द्वारा भारत सरकार ने विषयाधीन परियोजना के निर्माण हेतु 37.507 हेक्टेयर वन भूमि के अपयोजन के प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की है। सैद्धान्तिक स्वीकृति पत्र में 1—16 शर्त्तें अधिरोपित है जिसका कंडिकावार अनुपालन आपके स्तर से अपेक्षित है।

2. सैद्धान्तिक स्वीकृति पत्र के शर्त्त संख्या 1 के आलोक में प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास), बिहार के कार्यालय आदेश संख्या 03 दिनांक 01.11.2017 द्वारा निर्धारित मानक दर एवं वर्त्तमान मजदूरी पर क्षतिपूरक वनीकरण हेतु रू० 2,52,26,827/— (रूपये दो करोड़ बावन लाख छब्बीस हजार आठ सौ सताईस) मात्र का प्राक्कलन वन प्रमंडल पदाधिकारी, जमुई द्वारा उपलब्ध कराया गया है।

उक्त राशि का आकलन वर्त्तमान मजदूरी दर रू० 424/प्रतिमानव दिवस पर किया गया है। श्रम संसाधन विभाग, बिहार सरकार द्वारा समय—समय पर मजदूरी दर में किये जाने वाले वृद्धि के फलस्वरूप क्षतिपूरक वनीकरण मद की राशि संभावित वृद्धि के साथ भुगतेय होगा।

3. सैद्धान्तिक स्वीकृति पत्र के भाग—A के शर्त्त संख्या 2 के आलोक में परियोजना निर्माण के क्रम में 37.507 हेक्टेयर अपयोजित होने वाली वन भूमि का NPV की राशि 12.28590 लाख रूपये प्रति हेक्टेयर की दर से कुल रू० 4,60,80,725/— (रूपये चार करोड़ साठ लाख अस्सी हजार सात सौ पच्चीस) मात्र NPV के मद में प्रयोक्ता एजेन्सी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार को उपलब्ध करायेगी।

4. उपर्युक्त CA एवं NPV मद की कुल राशि रू० 7,13,07,552/— (रूपये सात करोड़ तेरह लाख सात हजार पाँच सौ बावन) मात्र को मंत्रालय द्वारा विकसित, परिवेश पोर्टल से e-challan generate कर Bihar CAMPA के account में online Mode द्वारा फंड ट्रांस्फर कर राशि जमा कराई जाय।

5. उक्त जमा की गयी राशि से संबंधित UTR No. एवं अन्य विवरणी को **परिवेश पोर्टल पर अपलोड किया जाय**, साथ ही जमा की गयी राशि का UTR No एवं दिनांक इस कार्यालय को उपलब्ध कराया जाय।

6. उपर्युक्त के अतिरिक्त प्रसंगाधीन पत्र में अधिरोपित 1–16 शर्त्तों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए समेकित प्रतिवेदन इस कार्यालय को यथाशीघ्र समर्पित करने की कृपा की जाय ताकि भारत सरकार से विषयाधीन मामले में अन्तिम स्वीकृति प्राप्त करने की कार्रवाई की जा सके।

अनु०—यथोक्त।

विश्वासभाजन,
ह0/—
(सुरेन्द्र सिंह)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
—सह—नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।

ज्ञापांक— व.सं./70/2022—581 दिनांक— 26/05/2025

प्रतिलिपि— वन प्रमंडल पदाधिकारी, मिथिला वन प्रमंडल, दरभंगा/वन संरक्षक, मुजफ्फरपुर अंचल, मुजफ्फरपुर को सानुलग्नक सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(सुरेन्द्र सिंह)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
—सह—नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।